सार-समाचार

जल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल भागीदारी 2.0 एवं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमल कुमार मीणा ने योजनाओं के अंतर्गत विभागवार प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जल भागीदारी 2.0 के तहत नगर निगम, रीको एवं अन्य शहरी निकाय अपने लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण करें तथा सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, तालाब, एनीकट एवं अन्य संरचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकाधिक भवनों, संस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाने के लिए आमजन एवं संबंधित संस्थाओं को प्रेरित किया जाए, ताकि वर्षा जल का अधिकतम संचयन हो सके। उन्होंने फील्ड स्तर पर सर्वे कर सभी कार्यों को समय पर ऑनलाईन इंद्राज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे कार्यों की प्रगति स्पष्ट रूप से नजर आ सकें। बैठक में उपनिदेशक स्थानीय निकाय सहित नगर निगम, जिला परिषद, रीको, पीएचईडी, कृषि, उद्यानिकी, वॉटरशेड, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

कोटा, (निसं)। नाबालिग से दुष्कर्म के करीब दो साल पुराने मामले में पॉस्को क्रम-5 न्यायालय के न्यायाधीश प्रेमराज सिंह चन्द्रावत ने पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 1 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चांदवानी ने बताया कि 26 मार्च 2024 को पीड़िता के पिता ने ग्रामीण के एक थाने में रिपोर्ट दी। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में कहा कि उसके दो लड़के व दो लड़की है 25 मार्च 2024 की रात्रि को परिवार सहित खाना खाकर सोए थे, रिपोर्ट में कहा कि 26 मार्च की सुबह उठे तो देखा कि उसकी नाबालिग बेटी घर में कहीं नजर नही आई, जिसकी आस-पास काफी तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता नही चला। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया, पुलिस ने मामले में कार्यवाही कर नाबालिग को दस्तयाब किया, मामले में अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी युवक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में अनुसंधान कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 13 गवाहो के बयान दर्ज कराये गये एवं 26 दस्तावेज पेश किये गये।

जरूरतमंदों को पोषाहार सामग्री बांटी

कोटा, (निसं)। सिंधी सभ्यता मंडल द्वारा अशोक कॉलोनी स्थित नारीशाला में असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों को एक माह की राशन सामग्री का वितरण किया गया। महासचिव प्रकाशवीर नाथानी ने बताया 136 जरूरतमंद महिलाओं को दैनिक जीवन यापन की आवश्यक सामग्री वितरित की गई। पिछले 65 वर्षों से लगातार नियमित रूप से प्रतिमाह मंडल द्वारा जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही हैं। वृद्धाश्रम में नवनिर्माण एवं आवश्यकतानुसार कार्य करवाने हेतु संरक्षक डी.एन.नैनानी एवं संबंधित आर्किटेक्ट ने मौका देखा ताकि वहां रह रहे वृद्धों कौ और अधिक सुविधाएं मिल सकें। अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खूबचंदानी ने बताया गर्मी को देखते हुए एनर्जी बूस्टिंग हेतु शरबत भी प्रत्येक परिवार को दिया गया। उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम छाबड़ीया, कोषाध्यक्ष विजय नेभनानी, गोविंद मखीजा, रमेश वाधवानी, हरीश पंजवानी, पितु गहिजा, मुकेश ओचानी, धनराज आडवाणी, राकेश हरिसिंघानी, कल्पित रोहिड़ा ने उपस्थित रहकर सेवाएं दी।

आदर्श विवाह संपन्न कराया

छबड़ा (निसं)। शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान यहां आदर्श विवाह संस्कार गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। गायत्री परिवार की इस पहल ने समाज के सामने कम खर्चे और उच्च संस्कारों का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। विवाह टोली नायक गणपत सिंह, रामविलास, संगीत गायक नवल किशोर, प्रीतम मेहता, विनोद आदि के सानिध्य में विवाह पूर्ण हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और देव पूजन के साथ नवदंपति ने सादगीपूर्ण तरीके से अपने नए जीवन की शुरुआत की। सोशल मीडिया प्रभारी रामचरण प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि गायत्री परिवार हमेशा से ही समाज को कुरीतियों से मुक्त करने और संस्कारों के जागरण में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार में सभी संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। वह वास्तव में कम खर्चे में बिना मोल की शालीनता खरीदने जैसा है। फिजूलखर्ची को त्याग कर केवल संस्कारों को महत्व दिया जाता है। समाज के हर वर्ग के लिए संस्कार प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। दिखावे और भारी खर्च के बजाय सादगीपूर्ण विवाह पर जोर देना ही समाज सुधार की दिशा में वैचारिक क्रांति ही वास्तविक परिवर्तन का आधार है।

रामपुरा बाजार से अतिक्रमण हटाए

कोटा, (निसं)। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने मंगलवार को रामपुरा बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि विगत कई दिनों से रामपुरा बाजार से व्यापारियों, राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य और आमजन की ओर से अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि रामपुरा बाजार विशेष तौर पर महात्मा गांधी स्कूल के पास अस्थायी अतिक्रमण के कारण भारी परेशानी उत्पन्न हो रही है। अतिक्रमियों ने गुमटियां लगाकर न सिर्फ मार्ग संकरा कर दिया है बल्कि वहां न्यूसेंस भी उत्पन्न हो रहा है। इसको देखते हुए निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने रामपुरा पुलिस का सहयोग मार्ग पर लगी गुमटियों को ध्वस्त कर हटा दिया। कार्यवाही के दौरान 10 लोगों के खिलाफ चालान की कार्यवाही भी की गई। अतिक्रमियों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है।

युवक की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत

कोटा, (निसं)। विज्ञान नगर थाना इलाके में एक युवक की संदिग्ध अवस्था मे मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इलाके के इन्द्रा गांधी कॉलोनी निवासी 53 वर्षीय व्यक्ति अपने घर के बाहर अचेतावस्था में मिला, जिसे परिजन उपचार के लिये कोटा के निजी अस्पताल मे लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पाकर विज्ञान नगर पुलिस मौके पर पहुंची, विज्ञान नगर थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि इलाके के इन्द्रागांधी नगर निवासी अशोक कुमार (53) घर के बाहर अचेतावस्था में मिला, जिसे परिजन अस्पताल लाये जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनो को सौंप दिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पायेगा, मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

नींद की गोलियां खाने से छात्र की तबियत बिगड़ी

कोटा, (निसं)। कुन्हाड़ी थाना इलाके में नींद की गोलियां खाने से छात्र की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। छात्र को उपचार के लिये अस्पताल मे भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मामले में सामने आया कि छात्र कोटा में रहकर सेल्फ स्टडी से नीट की तैयारी कर रहा था, रविवार को नीट का पेपर हुआ था जिसमे छात्र का पेपर बिगड़ गया जिस पर छात्र ने नींद की गोलियां खा ली, तबीयत बिगड़ने पर छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले की सूचना कुन्हाड़ी पुलिस को दी गई। कुन्हाड़ी थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि कोटा में रहकर एक छात्र स्वयं नीट की तैयारी कर रहा था, जिसका रविवार को हुए पेपर में कुछ सवाल बिगड़ गये, मामले में छात्र से पूछने पर सामने आया कि नींद नही आने पर छात्र ने नीद की गोलियां खा ली छात्र की स्थिति स्थिर है।

प्रेरणादायक सत्र का आयोजन

बूंदी (निसं)। जेसी आई बूंदी ऊर्जा द्वारा एंपावरिंग यूथ ट्रेनिंग श्रृंखला के अंतर्गत आदर्श स्कूल, विद्या मंदिर, लाल कोठी, खोजा गेट में दो प्रभावशाली एवं प्रेरणादायक सत्र आयोजित किए गए। अध्यक्ष अंकिता नुवाल ने बताया कि पहला सत्र ' लाइक, शेयर, बीवेयर' विषय पर जेफएम मंदीप साहनी मैडम द्वारा लिया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नशे एवं डिजिटल लत के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। उनके भावनात्मक एवं प्रभावशाली विचारों ने विद्यार्थियों को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।

शहर में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें, तैयारियां अंतिम चरण में, कलेक्टर ने निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने राज्य बजट घोषणा के अंतर्गत ई-बस सेवा योजना के तहत सुभाष नगर स्थित निर्माणाधीन पीएम ई-बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा मौके पर अधिकारियों के साथ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश प्रदान किए।

कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने निर्माणाधीन पीएम ई-बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने डिपो के प्रवेश-निकास मार्ग, बस संचालन व्यवस्था, 100 ई-बसों की पार्किंग क्षमता तथा चार्जिंग व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम कोटा के आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा द्वारा डिपो निर्माण, जीएसएस, चार्जिंग स्टेशन, जल व्यवस्था, प्रशासनिक भवन, मेंटेनेंस सेक्शन एवं स्टोर से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि ई-बस डिपो का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है तथा शीघ्र ही पूर्ण होने की स्थिति में है।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी कार्यों की सतत निगरानी एवं विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने निर्देश दिए कि ई-बसों के रूट शहर की आबादी और यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए तय किए जाएं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक से अधिक रूट संचालित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिकाधिक नागरिकों को सुविधा मिल सकें।

ई-बसों के निर्बाध संचालन के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर इंटरमीडिएट चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। साथ ही मार्ग पर भी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे आवश्यकता अनुसार बसों को रूट पर ही चार्ज किया जा सके।

कलेक्टर ने डिपो में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए फॉयर एनओसी, नजदीकी फॉयर ब्रिगेड स्टेशन से तथा आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की स्थापना से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।

पीएम ई-बस सेवा के तहत नई सुविधा:- पीएम ई-बस सेवा के तहत नई सुविधा के तहत कोटा में आगामी माह में लगभग 100 ई-बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। इन बसों का संचालन शहर के प्रमुख रूटों पर किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। ई-बसों का संचालन प्रारंभ में कोटा बस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। भविष्य में राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

ई-बसों के संचालन से शहर में प्रदूषण में कमी आएगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा प्राप्त होगी। यह पहल कोटा को स्वच्छ और हरित शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ई-बस सेवा के शुरू होने से कोटा की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा और यह पहल शहर के सतत् विकास तथा स्वच्छ पर्यावरण के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।

मारपीट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा पुलिस टीम ने घर में घुसकर मारपीट के दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि वाछिंत अपराधियों की गिरफ्तारी व धरपकड़ हेतु संपुर्ण शहर में अभियान संचालित है अभियुक्त के द्वारा साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर मारपीट करने व महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के दर्ज प्रकरण में वांछित आरोपी रामाअवतार (42) निवासी शिवधाम थाना बोरखेड़ा को गिरफ्त में लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 8 अप्रैल को फरियादिया ने बोरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15-20 लोगों ने एक राय होकर मेरे मकान पर धावा बोल दिया तोड़फोड़ करके मुझे व मेरे पति प्रमोद को घर के अन्दर घुसकर घसीटते हुये बाहर रोड पर ले जाकर व घर के अन्दर ही मारपीट की सरिया लकड़ी, लातों घूंसो से मारपीट की जान से मारने की नियत से घर के अन्दर घुसकर सरियों व लकडियां से मेरे पति प्रमोद जी के साथ मारपीट की में बचाने पहुंची तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया।

ऊर्जा मंत्री के गृह क्षेत्र कोटा में बिजली संकट, निजी कंपनी कर रही है मनमानी : धारीवाल

कोटा, (निसं)। कोटा शहर में बिजली व्यवस्था को लेकर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के गृह क्षेत्र में ही जनता अघोषित बिजली कटौती से परेशान है। निजी बिजली कंपनी केईडीएल पर मनमानी के आरोप पूर्व मंत्री कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने लगाते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला है।

कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने बयान जारी कर कहा है कि शहर के अलग-अलग इलाकों से लगातार अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। भीषण गर्मी के बीच बार-बार हो रही बिजली कटौती से आमजन हर रोज परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिना किसी सूचना के बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे घरों और व्यापार दोनों पर असर पड़ रहा हैं। कोटा उत्तर विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी बिजली कंपनी सरकार और ऊर्जा मंत्री तक की नहीं सुन रही है। ऊर्जा मंत्री कई बार निजी बिजली कंपनी के अधिकारियों की बैठक के लेकर निर्देश दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद आमजन को राहत नही मिल रही। धारीवाल ने कहा ऊर्जा मंत्री निजी बिजली कंपनी के सामने लाचार हो गए हैं कि कोटा शहर में अघोषित बिजली कटौती सहित अन्य मामलों में बिजली कंपनी लगातार शहरवासियों को परेशान कर रही है ओर मंत्री सिर्फ बयानबाजी करके इतिश्री कर रहे हैं।

धारीवाल ने कहा कि उन्हें रोजाना शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से बिजली कटौती की शिकायतों के फोन आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बिजली कटौती से राहत नहीं मिली तो वो शहर की जनता के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

बीसूका की बैठक 25 को

बूंदी (निसं)। बीस सूत्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत जिले में द्वितीय स्तरीय समिति की अप्रैल माह की समीक्षा बैठक 25 मई को कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अपरान्ह 3.30 बजे आयोजित होगी।

खोया पाया

गणेश सैनी पुत्र महादेव सैनी 1-A-8 राजस्थान आवासन मंडल जवाहर नगर बूंदी का अनुज्ञा पत्र गुम हो गया है किसी को मिलने पर सूचित करें।

नाम परिवर्तन

मेरे पासपोर्ट में नाम मोहम्मद साबिर खान था जो कि गलत है सही नाम साबिर खान पुत्र मरहूम अकबर खान है। भविष्य में इसी नाम से जाना जाये।

आम सूचना

मैं मेरे पक्षकार श्री रामबिहारी पुत्र श्री कुंजबिहारी रावल उम्र 63 वर्ष निवासी मकान नम्बर 432, केशवपुरा सेक्टर-2, मेहता इलेक्ट्रीकल्स के पास कोटा राजस्थान, की ओर से आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार रामबिहारी ने अपने पुत्र गजेन्द्र सीनम उम्र 37 वर्ष का आचरण ठीक नही होने व मेरी सेवा सुश्रुषा व देखभाल नही करने व मेरे पक्षकार को शारीरीक एंव मानसिक रूप से प्रताडित करने के कारण पुत्र गजेन्द्र सीनम को मेरे पक्षकार द्वारा अपने घर से निकालते हुये अपनी समस्त चल अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है तथा पुत्र गजेन्द्र सीनम के साथ यदि कोई व्यक्ति लेन देन या संव्यवहार करता है तो इसके लिये मेरा पक्षकार जिम्मेदार नही होंगा। अतः सभी नागरिक सूचित हो।

कोटा

दिनांक : 04.05.2026

भवदीय

हीरालाल, एडवोकेट

कोटा

पश्चिम मध्य रेल

ई-ऑक्शन

No. C-331/General/Vol.-I, **Date:** 30.04.2026. **(1) कैटलॉग नं.:** Kota-PnU-2026-3 **लॉट का नाम:** सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर **अनुबंध का प्रकार:** पे एंड यूज टॉयलेट **ई-नीलामी की तिथि एवं समय:** 18.05.2026 समय 12.00 बजे. कैटलॉग की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(हस्ता.)

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक

पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा, पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण व्यास आर.एच.जे.एस. जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा

470 24/04/26 Cm 06/26

1- सय्यैद खालीकुर रहमान पुत्र श्री सय्यैद हामिदूर रहमान, आयु 62 वर्ष 2- अकिला बेगम पत्नी श्री सय्यैद खालीकुर रहमान, आयु 55 वर्ष 3- कहकशा जहां पुत्री सय्यैद खालीकुर रहमान, आयु 34 वर्ष 4- कमर जहां पुत्री श्री सय्यैद खालीकुर रहमान, आयु 31 वर्ष 5- सय्यैद अतीकुर रहमान पुत्र श्री सय्यैद खालीकुर रहमान, आयु 30 वर्ष निवासीगण- मकान नम्बर 14/146 वार्ड नम्बर 30, सुभाष स्कूल के पास प्रेम नगर प्रथम, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, कोटा पिन-324003 ......प्रार्थीगण

- बनाम -

1- मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एरोड्राम सर्किल, कोटा पिन-324006 2- जहीन अफरीदी पत्नी स्वर्गीय सय्यैद खली लुरईमान पुत्री जहीरुद्दीन अफरीदी, निवासी- अफरीदी मंजिल बीएमबीए मोहल्ला, जोधपुर पिन कोड-342001 3- जन साधारण ......प्रतिपक्षीगण

-:: जनरल नोटिस ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण सय्यैद खालीकुर रहमान पुत्र श्री सय्यैद हामिदूर रहमान आयु 62 वर्ष, अकिला बेगम पत्नी श्री सय्यैद खालीकुर रहमान आयु 55 वर्ष, कहकशा जहां पुत्री सय्यैद खालीकुर रहमान आयु 34 वर्ष, कमर जहां पुत्री श्री सय्यैद खालीकुर रहमान आयु 31 वर्ष, सय्यैद अतीकुर रहमान पुत्र श्री सय्यैद खालीकुर रहमान आयु 30 वर्ष निवासीगण- मकान नम्बर 14/146 वार्ड नम्बर 30, सुभाष स्कूल के पास प्रेम नगर प्रथम, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, कोटा पिन-324003 जिला कोटा के द्वारा संयुक्त रुप से एक आवेदन धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पेश किया है। इसमें आलेखित किया है कि प्रार्थी क्रम-1 व 2 का पुत्र व प्रार्थी क्रम-3 लगायत-5 का भाई मृतक सय्यैद खली लुरईमान जिनका निधन दिनांक 27.03.2025 को कार्य के दौरान हो गया है। मृतक सय्यैद खली लुरईमान गुजरात में रेलवे में लोको पायलेट के पद पर तेनात था मृतक की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते भारतीय स्टेट बैंक शाखा एरोड्राम सर्किल, कोटा के खाता संख्या - 61077514956 में जमा कुल राशि 9,98,600/- रुपये अक्षरे नो लाख अठठानवे हजार छः सौ रुपये को प्राप्त करने की एकमात्र उत्तराधिकारी प्रार्थीगण संयुक्त रुप से व पृथक पृथक रुप से उक्त राशि अप्रार्थी संख्या-1 मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एरोड्राम कोटा के द्वारा देय है। उक्त राशि को प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किए जाने में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन **12.05.2026 को समय 10 AM बजे** न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रात पेश करें अन्यथा बाद गुजरने समय प्रार्थीगण को उक्त समस्त राशि को प्राप्त करने का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा बाद में किसी प्रकार के उज्रात शामिल नहीं होंगे। यह नोटिस आज **दिनांक 24.04.2026** को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर अदालत

न्यायालय के आदेश से

वरिष्ठ मुंसरिम

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा (राज.)

कोटा बन रहा है नेत्र चिकित्सा प्रशिक्षण का उभरता हब

कोटा, (निसं)। सुवि नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, कोटा में देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवा नेत्र चिकित्सकों का आगमन लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में कैनाकेरी (केरल) से डॉ.दीजा एस. एस., बेंगलुरु से डॉ.हीमाजा सिंघाना तथा उदयपुर से डॉ.सुबोध सर्राफ ने यहाँ मेडिकल रेटिना फेलोशिप के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संस्थान के निदेशक एवं वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉ. सुरेश पाण्डेय एवं डॉ.विदुषी शर्मा ने सभी नए फेलोज़ का स्वागत करते हुए बताया कि संस्थान में रेटिना से संबंधित जटिल रोगों के निदान एवं उपचार की अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोटा अब नेत्र चिकित्सा शिक्षा और उन्नत नेत्र प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। रेटिना विशेषज्ञ डॉ.निपुण बागरेचा के मार्गदर्शन में फेलोज़ को इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी, एंटी-वीईजीएफ इंजेक्शन, रेटिनल लेजर फोटोकोएगुलेशन, बराज रेटिना लेजर सहित आधुनिक रेटिना उपचार पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही मोतियाबिंद की माईक्रो फेको सर्जरी, प्रीमियम लेंस इम्प्लांटेशन एवं लेसिक लेजर सर्जरी, फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन जैसी उन्नत नेत्र तकनीकों का भी अवलोकन कराया जाएगा। डॉ.एस. के. गुप्ता एवं डॉ.सुभाष गुप्ता ने बताया कि संस्थान द्वारा सभी फेलोज़ को उच्चस्तरीय क्लिनिकल अनुभव के साथ-साथ आधुनिक नेत्र चिकित्सा तकनीकों का समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं दे सकें। सुवि नेत्र चिकित्सालय कोटा में अब तक देश के विभिन्न राज्यों से आये 30 से अधिक युवा नेत्र चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस अवसर पर रेटिना फेलोज़ को डॉ. सुरेश पाण्डेय द्वारा लिखित सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर्सश एवं डॉ.निपुण बागरेचा द्वारा लिखित प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट नामक पुस्तकें भेंट की गई।

निर्माण कार्यों में अनियमितता पर 3 अभियंता निलम्बित

कोटा, (निसं)। जल संसाधन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यों में मानक सामग्री का उपयोग नहीं पाए जाने पर 3 अभियंताओं को निलम्बित किया गया है। साथ ही, 3 अभियंताओं को चार्टशीट दी गई है। अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) द्वारा 5 मई को जारी आदेश के तहत दायीं मुख्य नहर सीएडी चम्बल कोटा में चल रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर दायीं नहर उपखंड सीएडी अंता के कनिष्ठ अभियंता नेमीचंद बैरवा, सोनू कुमार गोचर और दीपक चौधरी को निलम्बित किया गया है। इसके साथ ही, दायीं मुख्य नहर खंड द्वितीय सीएडी चम्बल कोटा के अधिशाषी अभियंता हेमराज मीणा, सहायक अभियंता एवं तकनीकी सहायक नरेश मालव और दायीं नहर खंड सीएडी चम्बल अंता के सहायक अभियंता अमित कुमार बोहरा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

रामगंजमंडी में मुमुक्षु संयम मेहता की शोभायात्रा निकली

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर में चल रहे दीक्षा महोत्सव के चौथे दिन मुमुक्षु संयम मेहता का वर्षीदान वरघोड़ा (शोभायात्रा) उत्साह के साथ निकाला गया। इस यात्रा में सकल जैन समाज के साथ-साथ सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। वर्षीदान यात्रा का शुभारंभ आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर से हुआ। मुमुक्षु दीक्षार्थी संयम मेहता अहमदाबाद

■ **लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया दीक्षार्थी का बहुमान**

रामगंजमंडी में दीक्षा महोत्सव के तहत शोभायात्रा निकाली गई।

से विशेष प से मंगाए गए एरावत रथ में बैठे हुए थे। यात्रा में सबसे आगे धर्मध्वजा लिए घुड़सवार चल रहे थे, उनके पीछे शहनाई वादन करते कलाकारों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

शोभायात्रा में आचार्य आनंदचंद्र सागर सूरी महाराज, साध्वी मुक्तिप्रिया एवं साध्वी मंडल भी शामिल रहा। दीक्षार्थी संयम मेहता रथ से सांसारिक वस्तुओं का वर्षीदान करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो त्याग और वैराग्य का जीवंत संदेश दे रहा था।

मुख्य अतिथि ओम बिरला ने अपने उद्बोधन में कहा कि सादगी और संतोष ही आज का युगधर्म है। उन्होंने कहा कि रामगंजमंडी आज तपस्या की धरती बन गई है। संयम के माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने अपने पुत्र को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर किया। भगवान आदिनाथ की परंपरा को संयम आगे बढ़ाएंगे। उनका यह कदम समाज को नई दिशा देगा और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। आयोजन समिति के सचिव वीरेंद्र जैन ने बताया की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीक्षार्थी का बहुमान किया।

सार-समाचार

कोटा में तीन मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिरा, कोई जनहानि नहीं

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा क्षेत्र के बल्लभबाड़ी में स्थित घोसी मोहल्ला में एक तीन मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। अचानक हुए हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, सूचना पाकर पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार मकान जर्जर हालत में था और खाली पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त मकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। हादसे से पहले ही मकान में मौजूद मजदूर मकान से बाहर निकले तभी अचानक से तीन मंजिला मकान भरभराकर धराशाही हो गया। मकान गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी गुमानपुरा थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे, मौके पर रेसक्यू टीम, डॉग स्क्वायर्ड टीम को बुलाया गया। मकान के अचानक धाराशाही होने की आवाज सुनकर पड़ौस में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गये। बताया जा रहा है कि गली में कुछ वाहन खड़े थे एवं मकान में जो सामान था वो मलबे में दब गया। गुमानपुरा थानाधिकारी महेश कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम को एक मकान के गिरने की सूचना मिली, सूचना पाकर टीम लेकर मौके पर पहुंचे तो मामले में सामने आया कि जर्जर हालत में तीन मंजिला मकान भरभराकर अचानक से गिर गया। मकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, हादसे से पहले ही मजदूर मकान से बाहर निकल गये। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, मामले की जांच की जा रही है।

कोटा में युवक ने आत्महत्या की

कोटा, (निसं)। महावीर नगर थाना इलाके में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में सामने आया कि मृतक डिलीवरी का काम करता था, जिसने घर में टीनशेड की एंगल पर फांसी लगा ली, जिसे नीचे उतारकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महावीर नगर थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि महावीर नगर इलाके के केशवपुरा निवासी गुरूनाम सिंह (22) ने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाईड कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि प्रथमदृष्टा से मामले में सामने आया कि मानसिक तनाव के चलते युवक ने यह कदम उठाया है। मृतक डिलिवरी बॉय का काम करता था। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

सार्वजनिक सूचना (Public Notice)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्कील नेता खंडेलवाल पुत्र भंवर लाल जी निवासी बी 405 ओम एनक्लेव अनंतपुरा कोटा की ओर से निम्नाशय का सार्वजनिक सूचना प्रेषित करता हूं।

1. मेरे मुवक्किल की निजी स्वामित्व वाली माइनिंग लीज (खदान) जिसका क्रमांक एम एल नम्बर 45/2005 है, जो कि ग्राम थड़ी जिला बूंदी में स्थित है, विभाग के रिकॉर्ड में पूर्णतः मेरे नेता खंडेलवाल के नाम पर दर्ज है।
2. मेरे मुवक्किल को ज्ञात हुआ है कि कुछ व्यक्ति एक बहुत पुरानी, निष्प्रभावी और कानूनन भंग हो चुकी "मे. केदारनाथ स्टोन" नाम की पार्टनरशिप डीड (जिसमें एक भागीदार की मृत्यु पूर्व में भी हो चुकी है) का दुरुपयोग कर इस खदान में हिस्सेदारी का झूठा दावा कर रहे हैं और उसे गैर-कानूनी तरीके से अन्य व्यक्तियों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं।
3. चूंकि यह माइनिंग लीज मेरे मुवक्किल के व्यक्तिगत नाम पर है और संबंधित पार्टनरशिप कभी अस्तित्व में नहीं आई (ना ही कोई रजिस्ट्रेशन हुआ), अतः किसी भी अन्य व्यक्ति या भागीदार द्वारा किया गया कोई भी लेन-देन या हिस्सेदारी का क्रय विक्रय पूरी तरह से शून्य (Void) और अवैध है।
4. इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस खदान के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से कोई सौदा न करें, और जो भी व्यक्ति ऐसे किसी सौदे में शामिल हो वह तुरंत रुक जाए।
5. यदि कोई ऐसा करता है, तो वह अपने आर्थिक नुकसान और कानूनी परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे मुवक्किल का और इस माइनिंग लीज का ऐसे किसी भी सौदे से कोई लेना-देना नहीं होगा।

एडवोकेट महावीर प्रसाद शर्मा

दिनांक : 05.05.2026 78 / 356 एमबीएस मार्ग रंगबाड़ी कोटा, मो. 9636637788

कार्यालय नगर परिषद बारां

क्रमांक-नपबा/भूमि शाखा/2026/ दिनांक-

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 69-क पट्टे के वास्ते आवेदक से आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन के सबंध में अन्य किसी को आपति हो तो अन्दर 7 दिवस में आपत्ति मय दस्तावेजों के साथ कार्यालय हाजा में प्रस्तुत करें। बाद मियाद गुजर जाने पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम आवेदक	स्थान जहां पट्टा चाहा गया है।	क्षेत्रफल
1.	श्री मोहनलाल पुत्र चन्दालाल	जैन जोडल्या मंदिर के पास बारां	1280 वर्गफीट डबल मंजिल
2.	श्री जिनेश जैन पुत्र चन्दालाल	जैन जोडल्या मंदिर के पास बारां	1148.12 वर्गफीट

आयुक्त

नगर परिषद बारां

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-393 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत् आम सूचना** दिनांक-30.4.26

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-1068 विनोबा भावे नगर (निर्धन को आंगन योजना) योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-454 दिनांक 24.04.2010 द्वारा श्रीमती उर्मिला कुमारी वैष्णव पत्नी श्री बद्रीलाल वैष्णव को आवंटन किया गया था। अवंटी श्रीमती उर्मिला कुमारी वैष्णव पत्नी श्री बद्रीलाल वैष्णव द्वारा उक्त भूखंड/आवास को जर्ये मुख्तारनाम आम दिनांक 21.08.2014 श्री रविकान्त राठौर पुत्र श्री बलराम राठौर को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा भी उक्त भूखण्ड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2025 श्री दीपक पुत्र श्री लालचन्द को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखंण्ड/आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या-1068 योजना विनोबा भावे नगर (निर्धन को आंगन योजना) का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री दीपक पुत्र श्री लालचन्द के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/1064 दिनांक : 4.5.26

नाम हस्तातंरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-225 केशवपुरा-6 योजना का नाम हस्तांतरण के पत्र क्रमांक 298 दिनांक 07.11.1986 द्वारा श्री खातून पत्नि श्री अब्दुल्ला को आंवटित किया गया था। श्रीमती खातून के द्वारा श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री नारायण लाल को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया। मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2010 को श्रीमती उमा देवी पत्नि श्री रघुवीर शर्मा को कर दिया गया। क्रेता श्रीमती उमा देवी पत्नि श्री रघुवीर शर्मा ने अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या-225 केशवपुरा-6 योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती उमा देवी पत्नि श्री रघुवीर शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-207 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-23.04.2026

श्री देवीलाल मीणा पुत्र श्री चोखा मीणा भूतपूर्व विधायक द्वारा विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत चालान सं. 047 से 30000रु जमा करवा कर 2006 में उच्च आय वर्ग का आवास प्राप्त करने हेतु कोटा शहर में पंजीकरण करवाया गया था। मण्डल द्वारा आवेदक की वरियता 04/H/HPS/2006/G-5 निर्धारित की गई। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री देवी लाल मीणा की मृत्यु दिनांक 21.09.2014 एवं इनकी पत्नी श्रीमती चम्पा देवी मीणा की मृत्यु दिनांक 03.03.2008 को एवं इनके पुत्र श्री मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 19.02.2017 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरान्त इनके वारिसानो में इनकी पुत्रीयों श्रीमती रम्भादेवी मीणा पत्नी श्री कचरूलाल मीणा एवं श्रीमती कान्ता मीणा पत्नी श्री वासुदेव परमार द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये घोषणा पत्र आलेखित कर श्री लक्ष्मण सिंह मीणा व श्री बंशीलाल मीणा पुत्रान स्व. देवीलाल मीणा, एवं श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व. श्री देवीलाल मीणा के पक्ष में किया गया। श्री लक्ष्मण सिंह मीणा व श्री बंशीलाल मीणा पुत्रान स्व. देवीलाल मीणा, एवं श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व. श्री देवीलाल मीणा द्वारा पंजीकरण संख्या 047/2006 उच्च आय वर्ग वरियता क्रमांक 04/H/HPS/2006/G-5 का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य वारिसानो के घोषणा पत्र के आधार पर किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर श्री लक्ष्मण सिंह मीणा व श्री बंशीलाल मीणा पुत्रान स्व. देवीलाल मीणा, एवं श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व. श्री देवीलाल मीणा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री लक्ष्मण सिंह मीणा व श्री बंशीलाल मीणा पुत्रान स्व. देवीलाल मीणा, एवं श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व. श्री देवीलाल मीणा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री लक्ष्मण सिंह मीणा व श्री बंशीलाल मीणा पुत्रान स्व. देवीलाल मीणा, एवं श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व. श्री देवीलाल मीणा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 133/2026

चूंकि श्री राकेश भार्गव, हाल निवासी वस्त्रापुर अहमदाबाद, गुजरात द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत ''मंदिर श्री सीताराम जी महाराज, तालाब पाडा, जिला बारां'' के प्रन्यासियों में हुये परिवर्तन को दर्ज अभिलेख करने हेतु जांच किये जाने के लिये प्रपत्र संख्या 8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 03.06.2026 है।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा